न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 11/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री हनुमानराम पटेल पुत्र वागाराम पटेल (खाद्य कारोबरकर्ता), फर्म –मैसर्स श्री राजेश्वर किराणा जनरल स्टोर, मैन मार्केट, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी– पटेलों का बास, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. श्री कुपाराम पटेल पुत्र बिरदाराम पटेल (मालिक), फर्म –मैसर्स श्री राजेश्वर किराणा जनरल स्टोर, मैन मार्केट, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी– पटेलों का बास, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

–:आदेश :– दिनांक :–26.03.19

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.10.2017 को श्री रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म –मैसर्स श्री राजेश्वर किराणा जनरल स्टोर, मैन मार्केट, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा) आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (कृष्णा) के 500 एमएल के 4 पैकेट वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 800/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

खरीदशुदा घी (कृष्णा) के 500 एमएल के 4 पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1651 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1651 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1651 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही

मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (कृष्णा) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1651 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1047/एक्ट/2017/1048 दिनांक 15.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ असुरक्षित खाद्य होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया तथा श्री कुपाराम पटेल को घी (कृष्णा) की खरीद बिल पेश करने हेतु रजि0 पत्र संख्या 183–184 दिनांक 08.11.2017 प्रेषित किया गया परन्तु इनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया इसलिए धारा 27 की उपधारा (3) (डी) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1651 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण पेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी।

अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्राथी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल राठी ने वकालतनामा पेश किया तथा मौखिक बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा घी (कृष्णा) का सैम्पल लिया गया था, उक्त घी अप्रार्थीगण द्वारा सील बन्द ही खरीदा व बेचा जाता है। इस सील बन्द घी में अप्रार्थीगण द्वारा कोई मिलावट नही की गई थी । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी सुना। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थीगण की फर्म –मैसर्स श्री राजेश्वर किराणा जनरल स्टोर, मैन मार्केट, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की दिनांक 14.10.2017 को वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा) 500 एमएल के 7 पैकेट विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 15.11.2017 के अनुसार "असुरक्षित खाद्य (Unsafe Food)" का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1048 दिनांक 15.11.2017 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) एवं धारा 51 के दोषी हैं। अप्राथी संख्या 2 पर शास्ती रूपये 20000/– अक्षरे रूपये बीस हजार रूपये की आरोपित की जाती हैं अप्राथी कुपाराम पटेल पुत्र बिरदाराम पटेल उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 26.03.19 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2018/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री हनुमानराम पटेल पुत्र वागाराम पटेल (खाद्य कारोबरकर्ता), फर्म –मैसर्स श्री राजेश्वर किराणा जनरल स्टोर, मैन मार्केट, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी– पटेलों का बास, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. श्री कुपाराम पटेल पुत्र बिरदाराम पटेल (मालिक), फर्म –मैसर्स श्री राजेश्वर किराणा जनरल स्टोर, मैन मार्केट, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी– पटेलों का बास, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।